

“ दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ”

स्व–रोजगार कार्यक्रम

संक्षेपिका

- भारत सरकार, छत्तीसगढ़ भासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से भाहरी गरीबों के उत्थान के लिए “दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय भाहरी आजीविका मिशन” का संचालन किया जा रहा है। क्षमता संवर्धन, कौशल उन्नमुखी, स्व–रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला समूहों का संस्थागत विकास के द्वारा भाहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है।
- **स्व–रोजगार कार्यक्रम** जिसमें मुख्यतः व्यक्तिगत, समूह एवं बैंक लिंकेज ऋण सम्मिलित हैं के तहत ऐसे भाहरी गरीब जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, को बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए समुचित स्व–रोजगार से जोड़ा जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 से समस्त नगरीय निकायों को डे–एनयूएलएम में शामिल किया गया है, इस प्रकार वर्तमान में राज्य के 165 नगरीय निकायों में मिशन संचालित है।
- स्व–रोजगार अंतर्गत **व्यक्तिगत ऋण** के तहत ऐसे भाहरी गरीब जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, को बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए समुचित स्व–रोजगार से जोड़ा जा रहा है। व्यक्तिगत ऋण के तहत बैंकों से प्राप्त वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा राशि **₹. 2.00 लाख** तथा **समूह ऋण** के तहत अधिकतम वित्तीय सीमा राशि **₹. 10.00 लाख** भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशिका के अनुसार प्रावधानित है।
- इस कार्यक्रम द्वारा लाभार्थी भाहरी गरीब बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर का मात्र **07 प्रतिशत ब्याज** की राशि देय होगी भोश राशि का वहन राज्य भासन द्वारा योजनांतर्गत अनुदान के रूप में किया जावेगा।
 - **महिला स्व–सहायता** समूहों को इस कार्यक्रम के तहत बैंकों से वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त ऋण राशि की किस्त का नियमित समयावधि में भुगतान करने पर **03 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान** का लाभ दिया जावेगा।
 - स्व–रोजगार कार्यक्रम के तहत ऋण राशि **₹. 50 हजार तक मार्जिन मॅनी** का प्रावधान नहीं है, राशि **₹. 50 हजार से अधिक पर न्यूनतम 05 प्रतिशत तथा अधिकतम 10 प्रतिशत मार्जिन मॅनी** प्रावधानित है।
 - **स्व–रोजगार कार्यक्रम** हेतु भाहरी गरीबों का चयन सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई/नगरीय निकाय द्वारा किया जावेगा तथा चिन्हांकित हितग्राहियों के **ऐच्छिक व्यवसाय** के आधार पर कोटेड मिशन एवं परियोजना प्रतिवेदन

सहित नियमानुसार आवेदन/प्रकरण तैयार कर आव यक दस्तावेज जिनमें हितग्राही का आधार-कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक एवं स्व-सत्यापित घोशणा-पत्र आदि आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तदोपरांत प्रकरण अनुमोदन उपरांत बैंकों को ऋण प्रदान करने की कार्यवाही हेतु प्रेशित किया जाता है।

- **समूह ऋण** – ऐसे भाहरी गरीब (पुरुश/महिला) जो एक समान व्यवसाय जैसे – फल व्यवसाय/सब्जी व्यवसाय/म ारूम उत्पादन/मसाला उद्योग/दोना पत्तल व्यवसाय आदि हेतु बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो असंगठित समूह को बैंकों से अधिकतम राशि रु. 10 लाख तक की वित्तीय सहायता समूह ऋण के तहत् प्रदान की जाती है।
- **समूह बैंक लिंकेज** – आवर्ती निधि प्राप्त होने के 06 माह प चात् संगठित स्व-सहायता समूह (पुरुश एवं महिला) जो पंचसूत्रों जिनमें – नियमित बैठक, ऋण आदायगी, बचत, लेखा संधारण आदि का पालन कर रहे हैं को आंतरिक लेन-देन सहित ऐच्छिक व्यवसाय आदि हेतु बैंक लिंकेज के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता समूह के बचत पूँजी के 1-4 के अनुपात में बैंकों के निर्णय अनुसार प्रदान की जाती है।
- **स्व-रोजगार कार्यक्रम** के तहत् व्यक्तिगत, समूह ऋण तथा बैंक लिंकेज अंतर्गत वित्तीय सहायता द्वारा स्थापित किये गये विभिन्न प्रमुख उद्यमों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	घटक	प्रमुख उद्यमों का विवरण
1	व्यक्तिगत ऋण	मोबाईल भाँप, आटो पार्ट्स, किराना एवं कपड़ा स्टोर्स, ब्यूटी पार्लर, होटल व्यवसाय, मसाला व्यवसाय, प णुपालन, भोजनालय एवं टिफीन सेंटर, फोटो स्टूडियो, इलेक्ट्रानिक्स दुकान, कम्प्यूटर व्यवसाय तथा अनाज व्यवसाय प्रमुख है।
2	समूह ऋण	म ारूम उत्पादन, छत्तीसगढ़ कलेवा, बर्तन बैंक, कपड़ा उद्योग, किराया भंडार, मिठाई डिब्बा निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, किराना स्टोर्स, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल व्यवसाय, मसाला उद्योग, पूजा सामग्री निर्माण, कोसा व्यवसाय, पोशण आहार निर्माण, लांड्री व्यवसाय एवं आटो रिक् ा का संचालन आदि प्रमुख है।
3	बैंक लिंकेज	महिला समूहों द्वारा बैंक लिंकेज ऋण का उपयोग आंतरिक लेन-देन के लिए किया जाता है।

- वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्व-रोजगार घटक अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त भौतिक लक्ष्य निम्नानुसार है :-

क्रं.	घटक	लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्थिति में (राशि लाख में)				
			वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रगति			लंबित प्रकरणों का विवरण	
			प्रस्तुत	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृति हेतु	वितरण हेतु
1	व्यक्तिगत ऋण	4000	11041	4305	4107	6736	198
2	समूह ऋण	300	675	359	342	316	17
3	समूह बैंक लिंकेज	2000	3762	2030	1899	1732	131